महत्वपूर्ण एवं खास

तेज़ रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवारों को रौंदा, एक की मौत

रायगढ़-रायपुर (आरएनएस)। लैलूंगा क्षेत्र के झरन के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज़ रफ्तार ट्रेलर वाहन ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही लैलूंगा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रेलर चालक की तलाश जारी है। इस हादसे से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

सुरक्षाबलो ने आईईडी बरामद कर किया नष्ट

बीजापुर (आरएनएस)। बीजापुर जिले के चेरपाल-पालनार मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए 45 किग्रा के आईईडी को सुरक्षा बलों ने समय रहते पहचानकर नष्ट कर दिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। 28 मार्च 2025 को केरिपु 222 वाहिनी की टीम पालनार कैंप से एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी। एडी ड्यूटी से वापसी के दौरान आज सुबह लगभग 8:00-8:30 बजे चेरपाल से 02 किमी दूर चेरपाल-पालनार मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी का पता चला। सुरक्षा बलों की तत्परता और सूझबूझ से बीडीएस बीजापुर और केरिपु 222 वाहिनी की बीडी टीम ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। बताया गया है कि माओवादियों ने ढ़दश्वष्ट के सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाने के लिए इस मार्ग पर लगाया था। आईईडी में कमांड स्वीच सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों की सावधानी के कारण माओवादी योजना विफल हो गई।

पति ने की पत्नी की कौमार्य परीक्षण की मांग, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

बिलासपुर (आरएनएस)। हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के कौमार्य परीक्षण की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मांग न केवल महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के भी विपरीत है। दरअसल रायगढ़ के पारिवारिक न्यायालय में जुलाई 2024 को दर्ज एक मामले में पत्नी ने ?20,000 प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी। दोनों की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी, लेकिन जल्द ही संबंधों में दरार आ गई। पत्नी ने अपने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया, जबकि पति ने पत्नी के अपने बहनोई से अवैध संबंध होने की बात कही और उसके कौमार्य परीक्षण की मांग की। पति की इस याचिका को पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई के दौरान इस पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कौमार्य परीक्षण असंवैधानिक है और महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है, अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह खुद का मेडिकल परीक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना अवैध है।

सारंगढ़ और बरमकेला क्षेत्र में 29 मार्च को होगा आधार कैंप

सारंगढ़ बिलाईगढ़। धरती आबा ग्राम के तहत 29 मार्च को सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत जामपाली, खर्री, खम्हारडीह, अमलीडीपा और बरमकेला ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोनबला, झीकीपाली, परधियापाली में आधार कैंप आयोजित किया जाएगा।

ऑनलाइन और म्यूल अकाउंट से धोखाधड़ी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार-भाटापारा | आरएनएस

थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने क्रेडिट कार्ड बकाया होने, सीबीआई जांच, कोर्ट वारंट आदि का डर दिखाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी डरा धमकाकर, लोगों को अपने झांसे में लेते हुए क्यूआर कोड भेज कर, पैसा भेजने के लिए लोगों को धमकाते थे। प्रकरण में पुलिस द्वारा म्यूल खाता धारक आरोपियों की भी पहचान कर कार्रवाई की है। आरोपियों द्वारा ऑनलाइन माध्यमसे,डरा धमका कर 3,48,000 रकम की धोखाधड़ी कीगई

पुलिस ने आरोपियों को धनबाद झारखंड एवं नयागढ़ उड़ीसा से गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 15.01.2025 को प्रार्थिया के मोबाइल नंबर पर एक नए नंबर से कॉल आया और उस नंबर से आरोपियों द्वारा कहा गया कि आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बकाया है। आप मनी लॉड्रिंग केस में सम्मिलित हो, इस प्रकार की बातें बोलकर एवं कोर्ट का वारंट की प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थिया के मोबाइल में प्रेषित कर डराते हुए, आरोपियों द्वारा एक क्यूआर कोड भेजा गया एवं प्रार्थिया से कहा गया कि उस क्यू आर कोड में पैसा जमा करें। तब प्रार्थिया द्वारा डर के कारण दिनांक 15.01.2025 से 22.01.2025 तक अलग-अलग समय में कुल 3,48,000 यूपीआई के माध्यम से आरोपियों द्वारा भेजे गए अलग-अलग क्यू आर कोड में ट्रांसफर किया गया। इस बीच आरोपियों द्वारा वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से स्वयं को पुलिस हैडक्वाटर दिल्ली का सीबीआई अधिकारी बताते हुए, प्रार्थिया को धमकी भी दिया गया। आरोपियों द्वारा इस प्रकार क्रेडिट कार्ड बकाया होने एवं सीबीआई जांच, आरबीआई अकाउंट एवं कोर्ट वारंट का डर दिखाकर प्रार्थिया से कुल 3,48,000 धोखाधड़ी कर लिया गया।

की प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 121/2025 धारा 318(4),308(7) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 आरोपियों को क्रमश: धनबाद झारखंड एवं नयागढ़ उड़ीसा से हिरासत में लिया गया। कि आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा प्रार्थिया को ऑनलाइन विभिन्न माध्यमों से डरा धमकाकर 3,48,000 की धोखाधड़ी करना एवं उक्त रकम को विभिन्न म्यूल खाता के माध्यम से आहरण करना पाया गया।

आरोपी भोला उर्फ रोहित कुमार से पूछताछ में यह पता चला कि- उसने बीए फाइनल तक की पढ़ाई किया है। आरोपी द्वारा ऑनलाइन फर्जी तरीके से फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से आइसीआइसीआइ बैंक के साथ-साथ अन्य बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में खाता खुलवाया गया है। आरोपी द्वारा अपने फर्जी मोबाइल नंबर के माध्यम से लोगों को मनी लांड्रिंग केस में संलिप्त होने, क्रेडिट कार्ड का बकाया राशि, सीबीआई जांच आदि का डर दिखाकर धमकाकर फर्जी तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जाता है। आरोपी द्वारा इसी प्रकार प्रार्थिया के साथ भी उसे डरा धमकाकर फर्जी तरीके से पैसा आहरण करना स्वीकार किया गया।

नयागढ़ उड़ीसा निवासी 03 आरोपियों से पूछताछ पर पता चला कि- आरोपियों द्वारा स्वयं के नाम से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑनलाइन के माध्यम से साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट खोला गया है, जिसमें जो भी फायदा होता है इसका एक हिस्सा आरोपियों को दिया जाता है। आरोपियों के खोले गए अकाउंट पर जब भी पैसा आता है तो उसमें से ?500-1000 रुपए आरोपियों को मिलता है। आरोपियों द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से मिलने वाले पैसों को ट्रांजैक्शन करने एवं खपाने का काम किया जाता है। प्रकरण में सभी चारों आरोपियों को आज दिनांक 28.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है

मामले में पुलिस ने भोला उर्फ रोहित कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी हरि मंदिर लोवर चौधाई कुल्ही अमतल धनबाद थाना झरिया जिला धनबाद झारखंड, देवनाथ बिसोई उम्र 20 वर्ष निवासी विजय मंडप गली ओडागांव थाना ओडागांव जिला नयागढ़ उड़ीसा, कालूचरण बारीक उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 14 मथसरेजुरिया थाना ओडागांव जिला नयागढ़ उड़ीसा तथा शिबाशंकर अचारी उम्र 23 वर्ष निवासी जारीन थाना ओडागांव जिला नयागढ़ उड़ीसा को गिरफ्तार किया है।

मुख्यमंत्री साय की पहल पर 48.81 करोड़ रूपए की अमृत मिशन 2.0 को मिली स्वीकृति

- निविदा प्रक्रिया के बाद शुरू हुआ फिल्टर प्लांट का निर्माण
- नगर के 15 वार्डों के निवासियों को 24 घंटे मिलेगी भरपूर पानी

जशपुरनगर | आरएनएस

कुनकुरी नगर की जल समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 48 करोड़ 81 लाख रूपये की स्वीकृति देते हुए राशि जारी कर दी है। राशि जारी होने पर निविदा प्रक्रिया पूरी कर नगर पंचायत कुनकुरी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कुनकुरी के सदभावना भवन के पास फ़िल्टर प्लांट का निर्माण शुरू हो चुका है।

सीएम की पहल पर केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिसंबर 2026 तक निर्माण कार्य पूरी करने का सख्त निर्देश अधिकारियों को दी है। कुनकुरी के नगरीय क्षेत्र में लम्बे समय से जल समस्या बनी हुई थी। बरसो पूर्व ईब नदी में निर्मित पंप हाउस और फ़िल्टर प्लांट,नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या की पानी की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कुनकुरी वासियों की इस समस्या का अच्छी तरह से एहसास था। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण करते ही उन्होंने कुनकुरी की इस जल समस्या को निराकृत करने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव और प्रक्कलन रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। तैयार किए गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज कर,सीएम साय ने इसके लिए 48 करोड़ 81 लाख रूपये की स्वीकृति दिलाई है।

इंटकवेल और फ़िल्टर प्लांट का निर्माण शुरू

अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत कुनकुरी में इंटकवेल और फ़िल्टर प्लांट का निर्माण शुरू हो चुका है। सीएमओ प्रवीण उपाध्याय ने बताया कि सदभावना भवन के पास 6 डाय मीटर के इंटकवेल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही ईब नदी में 396 किलो लीटर क्षमता की पंप स्टेशन और 3.50 एमएलडी की क्षमता वाली वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण भी किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना में कुनकुरी नगर में 36 हजार 930 मीटर पाईप लाईन का विस्तार भी किया जाएगा। ताकि कुनकुरी नगर के हर घर में पानी की पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। 940 लीटर की क्षमता की एक पानी टंकी निर्माण के साथ ही नगर में मौजूद सभी पानी टंकीयों को इससे जोड़ा जाएगा।

आदर्श नगर पंचायत के रूप में हो रहा है विकसित

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने नगर पंचायत कुनकुरी को आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए मिशन मोड में काम शुरू किया है। इसके लिए शहर की मुख्य सड़क से लेकर गली-मुहल्लों की सड़कों को संवारा जा रहा है। स्ट्रीट लाइट के विस्तार के साथ ही नालियो की सफाई और स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है।

200 जोड़ें दाम्पत्य बंधन में बंधे, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिया आशीर्वाद

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मिला लाभ

रायपुर | आरएनएस

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज सूरजपुर जिले के प्रवास पर रहीं। जहां उनके मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत रंगमंच प्रांगण में 200 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राजवाड़े ने सभी वर-वधुओं को दाम्पत्य सूत्र में बंधने पर बधाई दी और उनके सुखद जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि परिवार को साथ लेकर चलना है, अपने माता-पिता की तरह सास-ससुर को सम्मान देना है, परेशानियों एवं अभावों में संयम से रहना है और सुख-दुख में एक-दूसरे को साथ देना है। मंत्री राजवाड़े ने इस अवसर महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण जागरूकता आधारित पोषण संगोष्ठी पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह नहीं कराने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक भूलन सिंह मरावी , पूर्व गृह मंत्री और कुदरगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा वर-वधु के परिजन उपस्थित थे।

बस्तर से उखड़ने लगा है नक्सलियों के पैर, माओवादियों ने भी स्वीकारा हुआ भारी नुकसान

रायपुर | आरएनएस

केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के बाद अब बस्तर में सक्रिय नक्सलियों ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि सुरक्षाबलों की कार्यवाही में माओवादियों को भारी नुकसान हो रहा है। साल 2025 में जनवरी से मार्च के महीने तक उनके कुल 78 साथी मारे गए हैं। इनमें 7 ग्रामीणों के मारे जाने की बात कही है। अलग-अलग मुठभेड़ों में उनके बड़े कैडर्स के साथी भी ढेर हुए हैं। कोर इलाके में हजारों फोर्स घुस रही है। इसी के विरोध में अब नक्सलियों ने 4 अप्रैल को बीजापुर बंद बुलाया है। नक्सलियों के प्रवक्ता मोहन ने एक पर्चा जारी कर पिछले 3 महीने में हुए एनकाउंटर में संगठन को हुए नुकसान का जिक्र किया है। मोहन के पर्चे में लिखा है कि 12 जनवरी को बंदेपारा के पास 5 साथी, 9 फरवरी को जालिपेरू के पास 31, 20 मार्च को गंगालूर क्षेत्र में 26, उसी दिन कांकेर में 4 और 25 मार्च को माड़ डिवीजन, इंद्रावती क्षेत्र में 3 साथी मारे गए हैं।

जबकि 7 ग्रामीणों की भी मौत होने की बात पर्चे में लिखी है। नक्सल लीडर ने कहा कि, केंद्र और राज्य सरकारें दावा कर रही हैं कि वे 31 मार्च 2026 तक माओवादी आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस हमले को सभी का एक हिस्सा समझना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें योजना के अनुसार दूसरे और तीसरे राज्य और चौथे और पांचवें जिलों के सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर रही है।

अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 6 माओवादी गिरफ्तार

बीजापुर | आरएनएस

सुरक्षा बलों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 06 माओवादी को गिरफ्तार किया है। जिनमें थाना बेदरे क्षेत्रान्तर्गत एडक्रापल्ली से अपहरण और हत्या के मामले में फरार 03 माओवादी भी शामिल है।

जिले में चलाये जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत् थाना बेदरे एवं छसबल 18/ई की संयुक्त कार्यवाही में एडक्रापल्ली से ग्रामीण के अपहरण एवं हत्या के मामले में फरार 03 माओवादियों रमेश मिच्चा (ग्राम पार्टी कमेटी सदस्य) पिता इरपा मिच्चा जाति मुरिया उम्र 29 वर्ष ग्राम एडक्रापल्ली थाना बेदरे, राकेश वाचम (ग्राम पार्टी कमेटी सदस्य) पिता दशा वाचम उम्र 23 वर्ष जाति मुरिया निवासी एडक्रापल्ली थाना बेदरे तथा बाजू वाचम (मिलिशिया सदस्य) पिता डोग्गा वाचम उम्र 32 वर्ष जाति मुरिया निवासी एडक्रापल्ली थाना बेदरे को गिरफ्तार किया है।

वहीं थाना भैरमगढ़ क्षेत्रान्तर्गत डीआरजी और थाना भैरमगढ़ की संयुक्त टीम चिहका की ओर अभियान पर निकली थी। चिहका से थाना भैरमगढ़ के अपराध क्रमांक 08/2023 में ओड्सा घुड़साकल स्टॉप डेम निर्माण कार्य में लगे वाहन में आगजनी करने एवं कर्मचारियों से मारपीट करने की घटना में शामिल 03 फरार माओवादी लालू भोगामी (मिलिशिया सदस्य) पिता सुखराम उम्र 32 वर्ष जाति मुरिया निवासी चिहका थाना भैरमगढ़ ,ईश्वर कुपाल (मिलिशिया सदस्य) पिता नडगी उम्र 32 वर्ष निवासी चिहका थाना भैरमगढ़ तथा रतीराम जुर्री (मिलिशिया सदस्य) पिता कोसा उम्र 30 वर्ष निवासी चिहका थाना भैरमगढ़ को पकड़ा गया है। पकड़े गये उपरोक्त माओवादियों के विरूद्ध थाना भैरमगढ़ में 01-01 स्थाई वारंट लंबित है। कड़े गये माओवादियों के विरूद्ध थाना बेदरे एवं भैरमगढ़ में वैधानिक कार्यवाही उपरान्त न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है।

रैम्पवॉक में महिलाओं ने दिखाई आत्मविश्वास की झलक

- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार है दृढ़ संकल्पित: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब न सिर्फ परिवार की रीढ़ हैं, बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए सतत प्रयास कर रही है। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज अंबिकापुर में राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित नारी सशक्तिकरण महाकुंभ रैम्पवॉकथ् कार्यक्रम दौरान यह बातें कहीं।

मंत्री राजवाड़े ने महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, यह कार्यक्रम नारी के सम्मान का प्रतीक है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने सभी महिलाओं से अपने आत्मबल को और सशक्त करने, परिवार व समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने तथा हर क्षेत्र में नेतृत्व भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। डॉक्टर, शिक्षिका, खिलाड़ी, गृहिणी, किसान, पॉलिटिशियन, ब्यूटीशियन जैसे तमाम पेशों की महिलाओं ने रंग-बिरंगी पोशाकों में आत्मविश्वास के साथ रैम्प पर चलकर यह संदेश दिया कि वे अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।

यह रैम्पवॉक सिर्फ एक फैशन शो नहीं, बल्कि नारी शक्ति की झलक, उसकी भूमिका और उसकी पहचान को उजागर करने वाला मंच बन गया। यह आयोजन सरगुजा की धरती पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक पहल के रूप में याद किया जाएगा।

आदिवासी बच्चों से काम कराने के मामले में दस साल से फरार महिला आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

आदिवासी बच्चों से काम कराने के मामले में आरोपी महिला जो पिछले दस साल से फरार थी उसे पुलिस ने उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में आरोपिया के पति को वर्ष 2022 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। महिला तब से फरार चल रही थी।

बता दें कि सन 2014-15 में जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत जिला कांकेर के 03 आदिवासी बच्चों का चयन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु किया गया था, आरोपी सतीश शर्मा उर्फ क्षितिज पिता भुनेश्वर शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी कबीर नगर फेस 4 मकान नंबर एचडी 119 बी कबीर नगर रायपुर के द्वारा बस्तर मित्र फ उंडेशन के नाम से झूठी जानकारी देकर रजिस्ट्रार फ र्म एवं संस्थाएं इंद्रावती भवन नया रायपुर से रजिस्ट्रेशन करवा कर बेदांता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का प्रमाणिकरण शिक्षा विभाग से करवाकर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के आदिवासी क्षेत्र के छात्रों को उत्कर्ष विद्यार्थी योजना/ जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत प्राप्त कर अपने निवास कबीर नगर फेस 4 में आरोपी अपनी पत्नी बिनीता शर्मा के साथ रहते थे। जिनके द्वारा आदिवासी बच्चों को घरेलू काम झाडू पोछा बर्तन गाड़ी धोना हाथ पैर दबाना पूरे समय घर का काम करवाना फ ोन आने पर बात नहीं करवाना फ ोन आने की जानकारी भी संबंधित बच्चे को नहीं दिया जाता था। इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई थी तथा विवेचना के बाद मामले में दोनों पति-पत्नी के खिलाफ धारा 370, 420, 467, 468, 471, 34 भादवी, 03(1-06) (2-5) अनुसूचित जाति/जन जाति अ.नि. अधिनियम एवं धारा 23 किशोर न्याय एवं बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और पति सतीश शर्मा उर्फ क्षितिज को वर्ष 2022 में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी वहीं मामले में महिला बिनीता शर्मा फरार हो गई थी जिसकी तलाश की जा रही थी। दस साल बाद फरार महिला की जानकारी पुलिस को मिला और नगर पुलिस अधीक्षक अमन कुमार झा आजाद चौक रायपुर के नेतृत्व में थाना कबीर नगर के सहायक उप निरीक्षक घनश्याम साहू, महिला आरक्षक शारदा ध्रुव तथा महिला आरक्षक कंचन लता खालको थाना सरस्वती नगर के साथ सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आरोपिया को गिरफ्तार किया गया। फरार आरोपिया के गिरफ्तारी में आरक्षक राधेश्याम सिंह का महत्व पूर्ण योगदान रहा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU